न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– रिछपाल सिंह बुरड़क आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :– 61/24 (223 आर.टी.एक्ट)
जीसीएमएस नम्बर :– 2024/156

उनवान

बाबूलाल पुत्र हंडू जाति जाटव निवासी बरवारा तहसील नदबई जिला भरतपुर हाल निवासी सुभाष नगर गली नं. 3 कपिल नगर अजमेर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. बलराम पुत्र भैरा
2. हरसहाय पुत्र भैरो } जाति जाट निवासी बरबारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
3. मक्खन पुत्र नारायन (मृतक)
4. गोविन्द
5. विजय } पुत्रगण मक्खन } जाति जाट निवासी बरबारा तहसील नदबई जिला भरतपुर।
6. मल्ला
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई
8. प्रबन्धक स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा नदबई जिला भरतपुर।

.....उत्तरवादीगण

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरुद्ध मु.स. 113/2021 बउनवानी बाबूलाल बनाम बलराम में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.05.2024 द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई, दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर.टी.एक्ट

अभिभाषकगण :–

1. वकील अपीलाण्ट श्री महाराज सिंह डागुर उपस्थित।
2. वकील रेस्पोडेन्ट सं. 1, 2, 4 व 5 श्री कृष्ण कुमार सिंघल उपस्थित।

निर्णय दिनांक : 23.03.2026

1. अपीलांट ने यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नदबई द्वारा मु.स. 113/2021 बउनवानी बाबूलाल बनाम बलराम में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 06.05.2024, दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 आर.टी.एक्ट के विरूद्ध प्रस्तुत की है।
2. प्रकरण में संक्षिप्त एवं सारगर्भित तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट/वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विवादित आराजी खसरा नम्बर 322/0.56, 323/0.01, 324/0.5 के 1/3 हिस्से व खसरा नम्बर 749/0.40, 750/0.48, 751/0.19, 752/0.19 वाके ग्राम बरवारा तहसील नदबई बाबत् पेश किया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर उभयपक्षकारान को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय दिनांक 06.05.2024 को

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

निर्णय पारित करते हुए वादीगण का दावा खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।

3. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट्स को जरिये समन तलब किया गया। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री महाराज सिंह डागुर एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1, 2, 4 व 5 की ओर से अधिवक्ता श्री कृष्ण कुमार सिंघल ने वकालतनामा प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर प्राप्त की गयी।
4. विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।
5. विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने बहस में अपने अपील मीमों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजी वादी की पुश्तैनी आराजी है। आराजी वर्तमान खसरा नम्बरान 322/0.56 व 323/0.01, 324/0.5 के 1/3 हिस्से पर व खसरा नम्बरान 749/0.40, 750/0.48, 751/0.19, 752/0.19 स्थित ग्राम बरबारा तहसील नदबई में से 5 बीघा 5 बिस्वा का अपीलार्थी खातेदार काश्तकार काबिज है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री कतई गलत है काबिले निरस्तनीय है। विवादित आराजी को इन्तकाल सं. 45 व 54 से किसी बयनामा के आधार पर खातेदार के इन्द्राज प्रतिवादीगण सं. 1 से 3 के नाम कर दिये है इसलिए विक्रय पत्र दिनांक 12.08.1981 वादी के विरुद्ध शून्य एवं निष्प्रभावी है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री कतई गलत है। पूर्व में दावा वादी का निर्णय व डिक्री दिनांक 21.03.2014 को न्यायालय तहत द्वारा निर्णित किया गया जिसके विरुद्ध अपीलार्थी ने अपील राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर में की गई जो दिनांक 12.09.2018 को स्वीकार की जाकर निर्णय व डिक्री दिनांक 21.03.2014 अपास्त किये गये है और प्रकरण को न्यायालय तहत को रिमाण्ड किया गया जिसके विरुद्ध अपील बलराम आदि ने राजस्व मण्डल अजमेर की जो दिनांक 01.10.2021 को अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया गया। न्यायालय तहत उक्त न्यायालय के निर्देशों की पालना नहीं कर खण्डनाधीन निर्णय देने मे भारी भूल की है। विवादित आराजी नावालिग अपीलार्थी ने अपने पिता हन्डू से विरासत में प्राप्त की है परन्तु वह हन्डू की मृत्यु के समय 6 साल का नावालिग था इसलिए आराजी पर उसके नाम इन्द्राज खातेदारी नहीं किये जाकर राजस्व कर्मचारियो ने साजिश से प्रतिवादीगण की खातेदारी मे दर्ज कर दिया जबकि धारा 42 (b) राज० काश्तकारी अधिनियम अनुसूचित जाति के सदस्य की आराजी पर गैर अनुसूचित जाति के सदस्य का नाम दर्ज नही हो सका है। इस प्रकार तनकी सं० 1 व 2 का निर्णय वादी के विरूद्ध करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी त्रुटि की है। विवादित आराजी एक वादी अनुसूचित जाति का सदस्य और उस पर तत्वसमय नाबालिग रहने के कारण उसकी खातेदारी की इस आराजी पर प्रतिवादीगण असल किसी अन्य सदस्य को खातेदारी अधिकार प्राप्त नही होते है। इसके अलावा इन गलत इन्द्राजो के आधार पर ही प्रतिवादीगण धमकी देते है इसलिए उनके विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना अत्यन्त जरूरी है तनकी सं० 3 व 4 का निर्णय वादी के विपरीत करने मे अधीनस्थ न्यायालय ने भारी त्रुटि की है। जो रजिस्टर्ड वयनामा बताया है वह भी वादी के विरूद्ध वातिल व बेअसर है क्योकि यह वयनामा भी धारा 45 (b) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के उल्लंघन मे है क्योकि अनुसूचित जाति के व्यक्ति का बेचान किसी को नही किया जा सकता है। इसलिए निर्णय व डिक्री तहत गलत है तनकी सं० 5 का निर्णय वहक प्रतिवादी कतई गलत निर्णित किये गये है।वादी मृतक हन्डू का पुत्र है यह तथ्य वादी ने

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अपनी साक्ष्य से भली भाँति साबित किया है और इस सम्बन्ध मे प्रतिवादीगण का कोई विशिष्ठ प्रतिकार भी नहीं है। इस प्रकार तनकी सं० 7 व 7अ का निर्णय वादी के विरूद्ध करने मे अधीनस्थ न्यायालय ने भारी त्रुटि की है। विवादित आराजी पर कब्जा काश्त वादी का है उसका कब्जा कभी भी प्रतिवादीगण को हस्तांतरित नही किया है और न ही किया जा सकता है तथाकथित वयनामा भी वादी के विरूद्ध शून्य एवं निष्प्रभावी है। इस प्रकार प्रस्तुत अभिलेख व साक्ष्य वादी के वादी मृतक हन्डू का पुत्र व आराजी पर काबिज खातेदार काश्तकार है उसे दावे मे कब्जे वापिसी के अनुतोष की कोई आवश्यकता नही है इसलिए तनकी सं० 8 का निर्णय वाहक प्रतिवादी करने मे अधीनस्थ न्यायालय ने भारी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय में दावा धारा 88, 89, 188 राज० काश्तकारी अधिनियम का दावा प्रस्तुत किया गया है जिसे सुने जाने का अधिकारक्षेत्र राजस्व न्यायालय तहत को है। विक्रय पत्र के शून्य एवं निष्प्रभावी घोषित किये जाने का अनुतोष अनुसर्गिक है इसलिए दावा वादी के सुनने का अधीनस्थ न्यायालय को पूर्ण अधिकार क्षेत्र रहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी सं० 9 का निर्णय वहक प्रतिवादीगण करने मे भारी त्रुटि की है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील बहस के अन्त में निवेदन किया कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री तारीख 06.05.2024 निरस्त फरमाई जावे तथा दावा वादी अपीलार्थी स्वीकार किया जाकर निर्णय किया जावे।

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में कथन किया कि विवादित आराजी मुतदाविया संवत 2012 से पूर्व से ही यानी टीनेन्सी एक्ट लागू होने से पूर्व से ही टीनेन्ट की खातेदारी में थी जिनसे रजिस्टर्ड बयनामा प्रतिवादीगण सं. 1 लगायत 3 कब्जे काश्त में चली आ रही थी और प्रतिवादीगण को नियमानुसार आराजी मुतदाविया पर हकूक खातेदारी प्राप्त हुए थे एवं आराजी मुतदाविया पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज चले आ रहे थे। वादी का आराजी मुतदाविया पर दावा करने के दिन कब्जा नही था और न ही आज है। अपीलान्ट ने खसरा टीप केवल संवत 2006 से 2009 तक की ही पेश की हैं। इससे पहले की एवं बाद की जमाबन्दी पेश नहीं की है। सम्वत 2010 आर.टी.एक्ट फोर्स में आया उस समय की जमाबन्दी पेश नहीं की गई है। संवत 2010 में हन्डू की मृत्यु हो गयी तथा 2010 में हन्डू की पत्नी छोटेलाल के खाननदाज हो गयी अर्थात आर.टी.एक्ट. के प्रभाव में आने से पूर्व ही दूसरी जगह चली गयी थी। संवत 2010 में बाबूलाल 6 माह का था तो अपील में 6 साल क्यों लिखा? वादी हन्डू का पुत्र था या वहां पर पैदा हुआ था, कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये गये हैं, प्रतिवादीगण ने जो दस्तावेज पेश किए हैं उनसे उनकी बल्दियत छोटेलाल दर्ज है। दूसरी जमीन के दावे पर यह माना है कि यह हन्डू का पुत्र था, उस दावे में प्रतिवादीगण रेस्पोडेन्ट्स पक्षकार नहीं थे। इस बाबत रेवेन्यू कोर्ट निर्णित नहीं कर सकता है कि कौन किसका पुत्र है। अन्य निर्णय से इस वाद को नहीं जोड़ा जा सकता कि अपीलान्ट हन्डू के पुत्र है। अपीलान्ट ने कोई साक्ष्य पेश नहीं किये हैं। संवत 2006 से 2009 तक की खसरा टीप में हन्डू खातेदार दर्ज नही थे वे केवल शिकमी दर्ज थे। हन्डू को तथाकथित पिता कहा गया है। यदि अपीलान्ट का राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय शिकमी का कब्जा है तो सम्वत 2012 की जमाबन्दी देखी जाएगी। आराजी मुतदाविया के किसी भी हिस्से पर वादी का कब्जा काश्त नहीं

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

रहा है और न ही वादी को आराजी मुतदाविया में किसी प्रकार का कोई हक/अधिकार था। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

7. अपील अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय व डिक्री दिनांक 06.05.2024 के विरुद्ध न्यायालय हाजा में दिनांक 24.06.2024 को पेश की गई है जो अन्दर मियाद है।

8. हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अपील पत्रावली एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण के दावा व प्रतिवादीगण के जबाबदावा के आधार पर वाद में निम्न तनकीयात कायम की गई।

तनकी सं. 1 :– आया वादी विवादित आराजी वर्णित चरण संख्या 3 वादपत्र खसरा नंबर 322 रकबा 0.56, 323 रकबा 0.01, 324 रकबा 0.56 वाके ग्राम बरवारा तहसील नदबई के 1/3 हिस्से तथा खसरा नंबर 748 रकबा 0.40, 750 रकबा 0.48, 751 रकबा 0.19, 752 रकबा 0.19 वाके ग्राम बरवारा तहसील नदबई में से कच्चा रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा यानि 0.84 हैक्टेयर का वादी के पुश्तैनी होने से अपने आप को उक्त आराजी पर खातेदार व काबिज घोषित करा पाने तथा अपने हक व हिस्से तक रजिस्टर्ड वयनामा 12.08.1981 को वातिल व बेअसर घोषित करा पाने का अधिकारी है। तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगा० 3 के वर्तमान में चले आ रहे इन्द्राजात खातेदारी को कलमजन करा पाने का अधिकारी हैं। –जिम्मेवादी

तनकी सं. 2 :– आया वादी के अनुसूचित जाति का व्यक्ति होने से व नाबालिग होने के कारण वादी के पिता हंडू संवत 2010 में मरने के बाद विवादित आराजी प्रतिवादीगण सवर्ण जाति के व्यक्ति के नाम के खातेदारी में नहीं की जा सकती। –जिम्मे वादी

तनकी सं. 3 :– आया विनायमुखासमत दावा प्रतिवादी संख्या 1, 3 द्वारा वमुकाब बरवारा तहसील नदबई पर वादी को ऐलानियां धमकी दिए जाने से पैदा हुए। –जिम्मे वादी

तनकी सं. 4 आया वादी, प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबंद करा पाने का अधिकारी है। जिम्मे वादी

तनकी सं. 5 :– आया विवादित आराजी सं. 2012 के टीनेन्ट से प्रतिवादीगण द्वारा रजि० वयनामा से खरीदने से खातेदारी प्राप्त हुई है। जिम्मे प्रतिवादी

तनकी सं. 6 :– आया दावा दायरी करने के समय वादी का कोई कब्जा ना होने से दावा वादी काबिल खारिजी के है।

तनकी सं. 7 :– आया वादी हंडू का पुत्र है (संशोधित तनकी) –जिम्मे प्रतिवादी

तनकी सं. 7.अ :– आया वादी अजमेर के छोटेलाल का पुत्र है। (संशोधित तनकी) –जिम्मे प्रतिवादी

तनकी सं. 8 :– आया वादी की कब्जा वापिसी की रिलीफ ना होने से दावा वादी काबिल खारिजी के है। –जिम्मे प्रतिवादी

तनकी सं. 9 :– आया दावा वादी सिविल क्षेत्राधिकार का होने से न्यायालय को सुनवाई का अधिकार प्राप्त नहीं है। –जिम्मे प्रतिवादी

तनकी सं. 10 :– आया प्रतिवादीगण, वादी से खर्चा 2000/– रूपए प्राप्त करने के अधिकारी है। –जिम्मे प्रतिवादी

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी सं. 1 का निर्णय निम्न प्रकार किया है :–

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादी का था। वादपत्र में दर्ज खसरा नंबर 322, 323, 324 वाके ग्राम बरवारा तहसील नदबई के 1/3 हिस्से तथा खसरा नंबर 748, 750, 751, 752 रकबा 0.19 वाके ग्राम बरवारा तहसील नदबई में से कच्चा रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा यानि की 0.84 हैक्टेयर वादी की पुश्तैनी होने से अपने आप को विवादित आराजीयात पर खातेदार व काबिज घोषित करा पाने तथा अपने हक हिस्सा तक रजिस्टर्ड वयनामा दिनांक 12.08.1981 को वातिल व बेअसर घोषित करा पाने एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगा० 3 के नाम खातेदारी चले आ रहे वर्तमान इन्द्राजात खातेदारी को कलमजन करा पाने हेतु उक्त तनकीयात कायम की गई हैं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर वादी अधिवक्ता द्वारा जो दस्तावेजात पेश किए गए हैं जिसमें नकल जमाबंदी संवत 2006–09 पेश की गई है जिसके विगत खसरा नंबर 75, 235, 236 पर भंवरसिंह पुत्र नकटा जाति जाट निवासी शाहपुर के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है। इस प्रकार उक्त एकमात्र जमाबंदी संवत 2006–09 का अवलोकन करने से स्पष्ट है कि उक्त आराजी हंडू के पिता कलुआ के नाम दर्ज रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए उक्त आराजी को वादी पैतृक संपत्ति साबित करने में असफल रहा है। तथा राजस्थान टीनेन्सी एक्ट लागू होते समय जमाबंदी संवत 2009–12 कायम की गई थी और उक्त जमाबंदी ही कानून अवलोकनार्थ है। संवत 2009 से पूर्व रिकॉर्ड को जो राजस्थान टीनेन्सी एक्ट लागू होने का है, दावा के निर्णय में कोई भूमिका नहीं रखता है। प्रतिवादी के नाम इन्द्राज मुताबिक वयनामा दिनांक 12.08.1981 कारित होना वादी द्वारा स्वयं अपने दावा में स्वीकार किया है इसलिए प्रतिवादीगण कानून की दृष्टि से रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। उक्त विवादित आराजी भंवरसिंह पुत्र नकटा जाति जाट निवासी बरवारा के नाम दर्ज है जिसकी जाति जाट है जो कि अनुसूचित जाति के अंतर्गत नहीं आती है। प्रतिवादीगण की जाति जाट है इसलिए वादी अधिवक्ता का यह कहना है कि उक्त आराजी अनुसूचित जाति व्यक्ति के नाम दर्ज रही है जो कि गलत है। वादी इसे किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से साबित नहीं कर पाया है अतः मुताबिक वयनामा प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा० 3 के नाम दर्ज इन्द्राजात सही होना साबित है। अतः उक्त रिकॉर्डेड खातेदार को इन्द्राजातों को कलमजन नहीं किया जा सकता है। अतः उक्त तनकी वादी साबित नहीं कर पाए हैं इसलिए उक्त तनकी वादीगण के खिलाफ एवं प्रतिवादीगण के हक में तय की जाती है।

न्यायालय हाजा का तनकी सं. 1 के संबंध में निर्णय निम्न प्रकार है :–

वादी अपीलान्ट का अपने द्वारा पेश वाद में यह अभिवचन रहा है कि गत खसरा नम्बर 75 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 322, 323, 324 है में 1/3 हिस्सा एवं गत खसरा नम्बर 236 रकबा 13 बीघा 5 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 749, 750, 751, 752 हैं में से 5 बीघा 5 बिस्वा वाके बरबारा तहसील नदबई के वादी के पिता हन्डू पुत्र कलुआ खातेदार काबिज थे। उनकी मृत्यु सम्वत 2010 में हो गयी, उस समय वादी की उम्र मात्र 6 माह थी तथा नाबालिग था। वादी की माता सुगनी देवी वादी को अपने साथ लेकर अजमेर में छोटेलाल के यहां खाननदाज हो गयी। वादी की माता सुगिनी की मृत्यु 1977 में हो चुकी है। इस तरह उक्त आराजी वादी की पुश्तैनी आराजी है। उक्त आराजी में खसरा नम्बर 322 रकबा 0.56, 323 रकबा 0.01, 324 रकबा 0.56 वाके बरबारा तहसील नदबई के 1/3 हिस्से पर तथा खसरा नम्बर 749 रकबा 0.40, 750 रकबा 0.48, 751 रकबा 0.19, 752 रकबा 0.19 वाके बरबारा तहसील नदबई में से कच्चा 5 बीघा 5 बिस्वा पर वादी खातेदार की तरह काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। उक्त विवादित आराजी वादी के पिता जो कि अनुसूचित जाति का था, की खातेदारी में थी जो सवर्ण जाति के व्यक्तियों के नाम कानूनन नही जा सकती। इसके अलावा वादी के पिता के सम्वत 2010 में मरने के बाद वादी जो कि एक नाबालिग था की उक्त आराजी किसी व्यक्ति के नाम खातेदारी में नहीं जा सकती।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

राजस्व रिकार्ड में हाल में प्रतिवादी सं. 1 लगायत 3 के नाम उक्त आराजी वर्णित खसरा नम्बर 322, 323, 324 वाके बरबारा पर प्रतिादी सं. 1 व 2 के नाम बाहिद इन्द्राजात खातेदारी चले आ रहे हैं एवं खसरा नम्बर 749, 750, 751, 752 पर प्रतिवादी सं. 3 का नाम खातेदारी में चला आ रहा है। अतः वादी खसरा नम्बर 322, 323, 324 के 1/3 हिस्सा पर तथा आराजी खसरा नम्बर 749, 750, 751, 752 पर अपने आपको कच्चा 5 बीघा 5 बिस्वा यानि कि 0.85 हैक्टर पर खातेदार काबिज घोषित करा पाने का अधिकारी है तथा इ.न. 45, 54 संलग्न जमाबन्दी सं. 2035–38 वाके ग्राम बरबारा तथा रजिस्टर्ड बयनामा तारीख 12.08.1981 को अपने हक व हिस्से तक बातिल व बेअसर घोषित करा पाने का अधिकारी है।

वादी द्वारा अपने वाद को सिद्ध करने हेतु निम्न दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए हैं :–

1. प्रदर्श– 1 सत्यप्रति अपील उनवानी बाबूलाल बनाम चिरंजी न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर।
2. प्रदर्श– 2 सत्यप्रति शपथ–पत्र छोटेलाल पुत्र केसरीमल जाटव
3. प्रदर्श– 3 सत्यप्रति शपथ–पत्र दीपचन्द पुत्र छोटेलाल जाटव
4. प्रदर्श– 4 सत्यप्रति जमाबन्दी सम्वत 2068–65 ग्राम बरवारा
5. प्रदर्श– 5 सत्यप्रति मिलान क्षेत्रफल सन् 2001 से 2021 ग्राम बरबारा
6. प्रदर्श– 6 सत्यप्रति मिलान क्षेत्रफल सम्वत 2028 ग्राम बरवारा
7. प्रदर्श– 7 सत्यप्रति खसरा टीप मौजा बरवारा सम्वत 2006–2009 (ख.न. 75)
8. प्रदर्श– 8 सत्यप्रति खसरा टीप मौजा बरवारा सम्वत 2006–2009 (ख.न. 236)
9. प्रदर्श– 9 सत्यप्रति खेवट खतौनी सम्वत 2009 ग्राम बरवारा खाता सं. 19
10. प्रदर्श– 10 सत्यप्रति खेवट खतौनी सम्वत 2009 ग्राम बरवारा खाता सं. 41
11. प्रदर्श– 11 सत्यप्रति जमाबन्दी (खेवट खतौनी) ग्राम बरवारा सम्वत 2010–2013
12. प्रदर्श– 12 सत्यप्रति जमाबन्दी (खेवट खतौनी) ग्राम बरवारा सम्वत 2010–2013
13. प्रदर्श– 13 सत्यप्रति जमाबन्दी (खेवट खतौनी) ग्राम बरवारा सम्वत 2010–2013
14. प्रदर्श– 14 सत्यप्रति जमाबन्दी (खेवट खतौनी) ग्राम बरवारा सम्वत 2014–17
15. प्रदर्श– 15 सत्यप्रति जमाबन्दी (खेवट खतौनी) ग्राम बरवारा सम्वत 2014–2017
16. प्रदर्श– 16 न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा मु.स.अपील/डिक्री /17/19 भरतपुर में पारित निर्णय 30.03.2000 की सत्यप्रति
17. प्रदर्श– 17 न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर द्वारा अपील 21/98/223 भरतपुर में पारित निर्णय दिनांक 18.02.1999 की सत्यप्रति
18. प्रदर्श– 18 न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर द्वारा प्र.स. 21/98 में पारित डिक्री की सत्यप्रति।
19. प्रदर्श– 19 न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा Case No 33/Bharatpur of 1958 पारित निर्णय 09.12.1959 की सत्यप्रति

वादी ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 14(3) व धारा 151 सीपीसी के साथ नामन्तरकरण सं. 5 ग्राम बरवारा दिनांक 31.03.1977 पेश किया है।

मौखिक साक्ष्य के रुप में वादी स्वयं बाबूलाल पुत्र हन्डू पी.डब्लू–1 एवं बसन्ती पत्नी बाबूलाल पी.डब्लू–2 के शपथ–पत्र पेश किए गए एवं इनसे प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा जिरह की गयी।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

प्रतिवादी द्वारा अपने वाद को सिद्ध करने हेतु निम्न दस्तावेजी साक्ष्य पेश किए हैं :–

1. प्रदर्श EXD–1 भू–प्रबन्ध विभाग खतौनी जमाबन्दी सम्वत 2028 की सत्यप्रति।
2. प्रदर्श EXD–2 जमाबन्दी (खेवट खतौनी) सम्वत 2010 से 2013 की सत्यप्रति।
3. प्रदर्श EXD–3 जमाबन्दी (खेवट खतौनी) सम्वत 2014 से 2017 की सत्यप्रति।
4. प्रदर्श EXD–4 जमाबन्दी (खेवट खतौनी) सम्वत 2010–2013 की सत्यप्रति।
5. प्रदर्श EXD–5 जमाबन्दी (खेवट खतौनी) सम्वत 2010–2013 की सत्यप्रति।
6. प्रदर्श EXD–6 जमाबन्दी (खेवट खतौनी) सम्वत 2035–2038 की सत्यप्रति
7. प्रदर्श EXD–7 जमाबन्दी (खेवट खतौनी) सम्वत 2039–2042 की सत्यप्रति
8. प्रदर्श EXD–8 जमाबन्दी (खेवट खतौनी) सम्वत 2035–2038 की सत्यप्रति
9. प्रदर्श EXD–9 जमाबन्दी (खेवट खतौनी) सम्वत (अस्पष्ट)

मौखिक साक्ष्य के रुप में प्रतिवादीगण द्वारा बलराम पुत्र भैरों डी. डब्लू–1, सुगड़ सिंह पुत्र सामल डी.डब्लू–2 एवं उम्मेद पुत्र किशन लाल डी.डब्लू–3 के शपथ–पत्र पेश किए गए एवं वादी अधिवक्ता द्वारा इनसे जिरह की गयी।

वादी अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल ग्राम बरवारा के अनुसार गत एवं हाल खसरा नम्बरान की स्थिति निम्न प्रकार स्पष्ट है :–

प्रदर्श–5 मिलान क्षेत्रफल सन् 2001 से 2021		प्रदर्श–6 सम्वत 2028		गत खसरा नम्बर	
खसरा नम्बर	रकबा	खसरा नम्बर	रकबा	खसरा नम्बर	रकबा
322	0.56	181	2 बीघा 14 बिस्वा	75मी.	3 बीघा 9 बिस्वा
323	0.01	182 मी.	2 बीघा 4 बिस्वा	75 मी.	3 बीघा 10 बिस्वा
324	0.56	182 मी.	—		
749	0.46	436	1 बीघा 12 बिस्वा	235 मी.	1 बीघा
				236	1 बीघा 9 बिस्वा
750	0.48	437	17 बिस्वा	236मी.	1 बीघा 07 बिस्वा
751	0.19	438	2 बीघा 14 बिस्वा	326 मी.	4 बीघा 5 बिस्वा
752	0.19				

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी अपीलान्ट का है। वादी का वाद में अभिवचन यह रहा है कि उसके पिता वादग्रस्त खसरा नम्बरान के खातेदार थे। उपर्युक्तानुसार दस्तावेजात के आधार पर गत खसरा नम्बर 75 जिसके हाल खसरा नम्बर 322, 323 व 324 कायम हुए हैं का 1/3 हिस्से का एवं गत खसरा नम्बर 236 जिसके हाल खसरा नम्बर 749, 750, 751 व 752 कायम हुए हैं में से 5 बीघा 5 बिस्वा (0.84 हैक्टर) का खातेदार था। वादी द्वारा पेश दस्तावेजात के अनुसार प्रदर्श–7 खसरा टीप मौजा बरवारा सम्वत 2006–2009 में खसरा नम्बर 75 में कॉलम सं. 3 में कजोड़ी वगैरह ब.का. कन्हैया बल्द मोहरपाल कौम जाट सा.देह अस्पष्ट अंकन अंकित है, इस खसरा टीप के कॉलम सं. 15 सम्वत 2008 में कन्हैया बदस्तूर 2 हिस्सा व हन्डू बल्द कलुआ चमार 1 हिस्सा सा.देह अंकित है। प्रदर्श–8 खसरा टीप सम्वत 2006–2009 में खसरा नम्बर 236 में कॉलम नं. 3 में मन्दिर श्री लक्ष्मण जी म.न. 1 कन्हैया बल्द मोहरपाल जाट सा.देह अंकित है। प्रदर्श–9 खेवट खतौनी सम्वत 2009 ग्राम बरवारा के खाता सं. 19 में खसरा नम्बर 75 रकबा 6 बीघा 19 बिस्वा

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

कजौड़ी वगैरहा मु.खे. 1 बकाश्त कन्हीया बल्द अकबर कौम जाट सा.देह 2 हि., हन्डू बल्द कलुआ कौम चमार सा.देह 1/3 सा.देह शिकमी दर्ज है। प्रदर्श–10 खेवट खतौनी सम्वत 2009 ग्राम बरवारा के खाता सं. 41 में खसरा नम्बर 236 मि. रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा मु.ख.न. 1 बकाश्त हन्डू बल्द कलुआ सा.देह शिकमी दर्ज है। प्रदर्श Ex-11 जमाबन्दी ग्राम बरवारा सम्वत 2010–2013 के खाता सं. 17 में खसरा नम्बर 236 रकबा 7 बीघा 5 बिस्वा कजौड़ी बगैरह मु. ख.न. 1 बकाश्त कन्हैया बल्द मौहरपाल कौम जाट सा.देह शिकमी एवं खाता सं. 18 में खसरा नम्बर 75 मि. 3 बीघा 9 बिस्वा कजौडी वगैरह मु.ख.न. 1 बकाश्त कन्हैया बल्द मोहरपाल व भैरो बल्द अरजन कौम जाट सा.देह बहिस्सा बराबर शिकमी दर्ज है। इस प्रकार वादी के अभिवचनों के अनुसार वादग्रस्त भूमि हन्डू पुत्र कलुआ की खातेदारी में कभी नही रही है। प्रदर्श–7 खसरा टीम मौजा बरवारा सम्वत 2006–2009 में खसरा नम्बर 75 में कॉलम सं. 3 में कजौड़ी वगैरहा ब.का. कन्हैया अंकित है तथा सम्वत 2008 के कॉलम में 1 हिस्से पर काश्त दर्ज है एवं खेवट खतौनी सम्वत 2009 में खाता सं. 19 के खसरा नम्बर 75 व खाता सं. 41 के खसरा नम्बर 236 पर हन्डू पुत्र कलुआ शिकमी दर्ज है। इस प्रकार वादी द्वारा पेश दस्तावेजात के अनुसार हन्डू पुत्र कलुआ केवल संवत 2009 तक शिकमी दर्ज रहा है, कभी भी खातेदार दर्ज रहा हो इस बाबत कोई दस्तावेज पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। वादी ने अपने वादपत्र में केवल यही अभिवचन किया है कि हन्डू पुत्र कलुआ खातेदार थे लेकिन ऐसा वादी किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से सिद्ध नहीं कर पाया हैं

वादी बाबूलाल ने अपनी जिरह में यह कथन किया है कि ये नम्बर मेरी खातेदारी में रहे हैं। यह नम्बर सम्वत 2005 से 2010 तक रहे। मेरे पिता हन्डू बल्द कलुआ के नाम रहे हैं। मेरे नाम उक्त जमीन खातेदारी में नही रही, काश्त में रही है। मैं वर्तमान में बचपन से अजमेर रह रहा हूँ। हमने खेत कर रखे हैं। सन् 2011 में खेत करे हैं तथा उससे पहले 2010 में खेत करें थे। सन् 2011 में खेत करे थे, मेरी मां भी साथ आई थी। सम्वत 2011 का ध्यान है। बाबूलाल ने अपनी जिरह में इन खेतों की भेज नही भरी है का भी कथन किया है। हन्डू के दो सन्तान पैदा हुई थी बाबूलाल व बहन घीसी थी वह फौत हो चुकी है। उसके एक बच्चा है। यहां पर यह उल्लेखनीय है कि वादी बाबूलाल ने वादग्रस्त भूमि पर खेती किया जाना अर्थात अपना कब्जा काश्त होना कथित किया है लेकिन इस बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। साथ ही अगर वह अपने एक बहन होना मानता है तो उसके वारिसान को भी दावे में पक्षकार बनाना चाहिए था लेकिन पक्षकार नहीं बनाया गया। कब्जे के सम्बन्ध में एवं खातेदारी के सम्बन्ध में कोई राजस्व अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया है। राजस्व अभिलेख से अधिक महत्त्व स्वयं वादी की मौखिक साक्ष्य को नहीं दिया जा सकता है। मौखिक साक्ष्य पर बिना दस्तावेजी साक्ष्य के विश्वास नहीं किया जा सकता है। मौखिक साक्ष्य को साबित करने के लिए दस्तावेजी साक्ष्य का होना आवश्यक है।

यहां पर यह भी उल्लेखनीय है कि हन्डू पुत्र कलुआ जमाबन्दी सम्वत 2009 में खाता सं. 19 के खसरा नम्बर 75 एवं खाता सं. 41 के खसरा नम्बर 236 में शिकमी के रुप में दर्ज है एवं वादी द्वारा पेश वाद पत्र के अनुसार उसकी मृत्यु 2010 मे हो गयी। हन्डू पुत्र कलुआ की मृत्यु हो जाने से जिन खसरा नम्बरों पर वह सम्वत 2009 में शिकमी दर्ज था उन पर उसका कब्जा भी नहीं रहा। साथ ही वाद पत्र अनुसार उसकी पत्नी भी अजमेर में छोटेलाल के यहां खाननदाज़ हो गयी। शिकमी काश्तकार की प्रविष्टि राजस्व रिकार्ड में तब

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

तक ही की जाती है जब तक वह किसी भूमि के खसरा नम्बर पर काश्त करता है। शिकमी काश्तकारी की प्रविष्टि शिकमी के अधिकार उत्तराधिकार योग्य नहीं होने से उसकी मृत्यु हो जाने या उसका उस भूमि पर काश्त करने से आगे नहीं की जा सकती है। इसलिए जमावन्दी सम्वत 2010–2013 में हन्डू पुत्र कलुआ की मृत्यु हो जाने से शिकमी के रुप में उसकी प्रविष्टि नहीं की गयी जो हमारे मत में विधिसम्मत है एवं राजस्थान कातश्कारी अधिनियम 1955 के लागू होने की दिनांक को हन्डू पुत्र कलुआ की प्रविष्टि शिकमी काश्तकार की नहीं होने एवं उसका कब्जा नहीं होने से उसे खातेदार के रुप में नहीं माना जा सकता है। एवं वादी के वाद पत्र अभिवचनों के अनुसार किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से यह सावित नहीं होता है कि वह वादग्रस्त गत खसरा नम्बर 75 व 236 वाके ग्राम बरवारा का खातदेार काश्तकार था।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत शिकमी काश्तकार को खातेदारी अधिकार प्रदान करने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में विधि में यह स्पष्ट प्रावधान है कि शिकमी काश्तकार किसी भी आराजी पर बतौर किरायेदार स्थापित रहता है अर्थात निर्धारित समयावधि के लिए आराजी जैर पर बतौर काश्त करने के लिए अधिकृत रहता है ना किवह बतौर खातेदार काश्तकार है। अगर शिकमी को उप–कृषक भी माना जावे तो इस सम्बन्ध में खातेदारी प्रदान करने के प्रावधान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 19 में दिए गए हैं। धारा 19(1) के प्रावधानों के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है कि उक्त धारा की उपधारा (1) (ए) के अनुसार खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति का नाम जो खातेदारी अधिकार चाहता है सम्वत 2012 अर्थात राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने की दिनांक 15.10.1955 के वार्षिक रजिस्टरों में बतौर "खुदकाश्त या उपकृषक" दर्ज होना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि 15.10.1955 से पहले कितने लम्बे समय में और उसके बाद भी कितने लम्बे समय तक वह व्यक्ति काबिज रहा अपितु महत्वपूर्ण यह है कि अधिनियम 1955 लागू होने की दिनांक को काबिज काश्त था या नहीं। वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श–1 से 19 में कोई भी दस्तावेज राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के लागू होने की दिनांक का नहीं है जिसमें हन्डू पुत्र कलुआ शिकमी के रुप में दर्ज हो। हन्डू पुत्र कलुआ के नाम राजस्व रिकार्ड मात्र खसरा टीप में सम्वत 2006–2009 तक ही दर्ज रहे हैं। इस प्रकार शिकमी के आधार पर भी वादी का वाद सिद्ध नहीं है। यहां पर यह भी महत्वपूर्ण है कि हन्डू पुत्र कलुआ की मृत्यु सम्वत 2010 में ही हो गयी थी तो सम्वत 2010 से आगे उसका कब्जे में होना सम्भव ही नहीं था। अतः यह तनकी वादी के विरुद्ध एवं प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी सं. 2 का निर्णय निम्न प्रकार किया है:–

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादी का ही था वादी द्वारा प्रस्तुत दावे के समर्थन में रिकॉर्ड जमाबंदी संवत 2006–09 में उक्त आराजी भंवरसिंह पुत्र नकटा के नाम दर्ज है जो जाति जाट है जो सवर्ण जाति के अन्तर्गत आती है इसलिए उक्त आराजी पर कभी भी हन्डू या उसके पिता कलुआ के नाम दर्ज नहीं रही है। इसलिए उक्त वयनामा जाट जाति द्वारा जाट व्यक्ति के पक्ष में किया गया है इसलिए उक्त तनकी को साबित करने में पूर्णतया वादी असफल रहे हैं अतः उक्त तनकी वादी के खिलाफ व प्रतिवादी के हक में तय की जाती है।

न्यायालय हाजा का तनकी सं. 2 के संबंध में निर्णय निम्न प्रकार है :–

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

जिस प्रकार तनकी सं. 2 का विवेचन अधीनस्थ न्यायालय ने जिसमें यह अंकित किया है कि जमाबन्दी संवत 2006–09 में उक्त आराजी भंवरसिंह पुत्र नकटा के नाम दर्ज किया है। उससे हम सहमत नहीं है क्योंकि जमाबन्दी संवत 2006–2009 में वादग्रस्त आराजी भवंर सिंह पुत्र नकटा के नाम दर्ज नहीं है एवं न ही पत्रावली पर सम्वत 2006–2009 की जमाबन्दी ही पेश की गयी है। भंवर सिंह पुत्र नकटा जाति जाट सा.शाहपुर के नाम मध्य आराजी खसरा नम्बर 436, 437, 438 दर्ज है एवं खसरा नम्बर 181 भंवर सिंह पुत्र नकटा सा. शाहपुर व भैरो पुत्र अरजन जाति जाट सा.देह खातेदार के नाम दर्ज है जो जमाबंदी सम्वत 2028 प्रदर्श EXD-1 है। शेष विवेचन से सम्मत इस प्रकार है कि उक्त भूमि कभी भी हन्डू पुत्र कलुआ की खातेदारी में कभी नहीं रही है जिससे यह नहीं माना जा सकता है कि वादग्रस्त भूमि अनूसूचित जाति से सवर्ण जाति के नाम खातेदारी में दर्ज हो गयी। इसलिए यह तनकी वादी के विरुद्ध एवं प्रतिवादीगण के हक में तय की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी सं. 3 का निर्णय निम्न प्रकार किया है:–

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण का था जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 लगा० 3 ने वादी को धमकी दिए जाने से विनायमुकाम होना व दावा पेश करने के कारण तनकी बनाई गई है जिसे रिकॉर्ड दावा अवलोकन से वादी द्वारा अपनी किसी भी मौखिक साक्ष्य व दस्तावेजी साक्ष्य से साबित नहीं किया है कि वह ग्राम बरबारा में निवास करता है और प्रतिवादी 1 लगा० 3 द्वारा वादी को कभी धमकी दी गई हो। गवाहन जो वादी द्वारा पीडब्लू 1 स्वयं बाबूलाल का है तथा पीडब्लू 2 वादी की पत्नी बसंती देवी के शपथ पत्र पेश किए गए हैं इसलिए इनके अलावा कोई भी स्वतंत्र गवाह पेश नहीं किए गए हैं जिससे साबित होता हो कि प्रतिवादी संख्या 1 लगा० 3 द्वारा वादी को कोंई धमकी दी गई हो। अतः उक्त तनकी वादी के खिलाफ व प्रतिवादी के हक में तय की जाती है।

न्यायालय हाजा का तनकी सं. 3 के संबंध में निर्णय निम्न प्रकार है :–

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी सं. 3 का निर्णय विधिसम्मत रुप से सही पारित किया गया है। जिससे हम सहमत है।

अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी सं. 4 का निर्णय निम्न प्रकार किया है:–

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार वादी का था उक्त तनकी जो वादी द्वारा प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबंद किए जाने हेतु बनाई गई है। उक्त तनकी को सिद्ध करने हेतु वादी द्वारा किसीभी प्रकार का मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया गया जिससे प्राईमाफेसी केस व सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति वादी को होती हो अतः उक्त तनकी भी वादी साबित न कर सकने के कारण वादी के विरुद्ध तथा प्रतिवादीगण के हक में सिद्ध की जाती है तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री से पाबंद नहीं किया जा सकता।

न्यायालय हाजा का तनकी सं. 4 के संबंध में निर्णय निम्न प्रकार है :–

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी सं. 4 का निर्णय विधिसम्मत रुप से सही पारित किया गया है। जिससे हम सहमत है।

अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी सं. 5 का निर्णय निम्न प्रकार किया है:–

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण को था। जिसमें टीनेन्ट खातेदार से जरिए रजिस्टर्ड बयनामा खातेदारी प्राप्त की गई है। पत्रावली के अवलोकन से तथा वादी अधिवक्ता की लिखित बहस के अवलोकन से साबित है कि उक्त आराजी जरिए रजिस्टर्ड वयनामा खरीद की गई है तथा नकल जमाबंदी संवत 2006–09 के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर है कि उक्त विवादित आराजी भंवरसिंह पुत्र नकटा जाति जाट के नाम दर्ज है। इस प्रकार उक्त रिकॉर्ड व वादी द्वारा अपने दावा में वयनामा होना स्वीकार करने से यह साबित होता है कि प्रतिवादीगण के जो इन्द्राज खातेदारी मुताबिक वयनामा प्राप्त हुए हैं, मुताबिक

वयनामा दिनांक 12.08.81 व इंतकाल संख्या 43 व 54 जो कि वादी के दावा की मद संख्या 7 की लाईन संख्या 12 व 13 पर अंकित है. से साबित होता है कि प्रतिवादी के नाम जो इन्द्राजात खातेदारी दर्ज है जो मुताबिक वयनामा दर्ज की गई है जिसके समर्थन में प्रतिवादीगण ने गवाहन पीडब्लू 1 स्वयं बलराम तथा स्वतंत्र गवाह सुगडसिंह व उम्मेद जो निवासी बरबारा के पेश किए गए हैं जिन्होंने दौरान जिरह प्रतिवादीगण के जवाब दावा को साबित किया है एवं दौरान जिरह यह स्पष्ट बताया है कि उक्त आराजी को शुरू से ही प्रतिवादीगण काबिज काश्त करते चले आ रहे हैं एवं प्रतिवादी द्वारा उक्त आराजी को जरिए रजिस्टर्ड वयनामा क्रय की गई है। इस प्रकार मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य एवं वादी के दावा में स्वीकृति से तनकी संख्या 5 प्रतिवादी के हक में तथा वादी के विरूद्ध तय की जाती है।

न्यायालय हाजा का तनकी सं. 5 के संबंध में निर्णय निम्न प्रकार है :–

अधीनस्थ न्यायालय ने गलत रुप से यह अंकन किया है कि नकल जमाबन्दी संवत 2006–2009 के अवलोकन से स्पष्ट जाहिर है कि उक्त विवादित आराजी भंवरसिंह पुत्र नकटा जाति जाट के नाम दर्ज है। शेष विवेचन विधिसम्मत है।

अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी सं. 6 का निर्णय निम्न प्रकार किया है:–

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार भी प्रतिवादीगण का था जिसमें वादी का कब्जा न होने से दावा काबिल खारिजी के है। वादी द्वारा आज भी किसी भी दस्तावेजी साक्ष्य से या स्वतंत्र गवाह से यह साबित नहीं कर पाए हैं कि उक्त विवादित आराजी पर कभी भी वादी व उनके पिता हन्डू द्वारा काश्त की गई है। प्रतिवादी ने कब्जे के समर्थन में गवाहन पीडब्लू 2 सुगडसिंह, पीडब्लू 3 उम्मेद के शपथ पत्र पेश किए गए हैं जिन्होंने उक्त विवादित आराजीयात पर प्रतिवादी का वक्त वयनामा से ही कब्जाकाश्त बताया है एवं वादी बाबूलाल व उसके पिता हन्डू का उक्त विवादित आराजीयात पर कभी भी काश्त नहीं होना बताया है। लिहाजा उक्त तनकी प्रतिवादी के हक व वादी के विरूद्ध तय की जाती है।

न्यायालय हाजा का तनकी सं. 6 के संबंध में निर्णय निम्न प्रकार है :–

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी सं. 6 का निर्णय विधिसम्मत रुप से सही पारित किया गया है। जिससे हम सहमत है।

अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी सं. 7 व 7(अ) का निर्णय निम्न प्रकार किया है:–

उक्त तनकी 7 व 7 अ जिम्मेवादी बनाई गई है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है इस दावे का मुख्य आधार यह है कि वादी बाबूलाल हन्डू का पुत्र था या छोटेलाल का था। चूंकि यहां वादी बाबूलाल है जो कि अपने आप को हन्डू का पुत्र बताकर आया है। परन्तु मात्र कह देने से ऐसा माना नहीं जा सकता। एवं तनकी 7 अ वादी बाबूलाल अजमेर के छोटेलाल का पुत्र है। उक्त दोनों तनकी वादी व प्रतिवादी के जिम्मे में बनाई गई है वादी द्वारा अपनी पत्रावली में कोई भी ऐसा शैक्षणिक दस्तावेजात या अन्य कोई दस्तावेजात जैसे राशनकार्ड, आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास या किसी सरपंच द्वारा सजरा पेश किया गया हो जिससे साबित होता हो कि वादी हन्डू का पुत्र है परन्तु मात्र कह देने से ऐसा माना नहीं जा सकता। बाबूलाल ने एक भी ऐसा दस्तावेज पेश नहीं किया जिससे साबित होता है कि बाबूलाल हन्डू का पुत्र है और न ही शपथ पत्र मौखिक साक्ष्य में कोई स्वतंत्र गवाह पेश किया जिसने बाबूलाल को हन्डू का पुत्र होना बताया हो चूंकि वाद बाबूलाल के द्वारा लाया गया है एवं इस वाद का मुख्य बिन्दु ही यही है। स्वयं वादी व वादिनी की पत्नी बसंती के कथन जिरह

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

भी विरोधाभासी हैं। तथा अपने शपथ पत्र को जिरह से साबित नहीं कर पाए हैं कि प्रतिवादी ने जो गवाह पीडब्लू सुगडसिंह पेश किया है उसमें सुगडसिंह ने अपने शपथ पत्र तथा जिरह में बताया कि बाबूलाल हन्डू का पुत्र न होकर अजमेर के छोटेलाल का पुत्र है और उम्मेद ने भी शपथ पत्र व जिरह में यह बताया है कि हन्डू की मृत्यु 60 वर्ष पूर्व हो गई थी। हन्डू के कोई लडका नहीं था इस प्रकार उक्त शपथ पत्र से साबित होता है कि बाबूलाल हन्डू का पुत्र न होकर छोटेलाल अजमेर का पुत्र है। इसलिए उक्त तनकीयात वादी के खिलाफ व प्रतिवादी के पक्ष में तय की जाती है।

न्यायालय हाजा का तनकी सं. 7 के संबंध में निर्णय निम्न प्रकार है :–

वादी स्वयं को हन्डू पुत्र कलुआ का पुत्र होना अभिवचन कर दावा पेश किया है। इस हेतु उसने प्रदर्श EX-1 सत्यप्रति अपील उनवानी बाबूलाल पुत्र हन्डू बनाम चिरंजी वगैरह न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर, प्रदर्श EX-2 सत्यप्रति शपथ–पत्र छोटेलाल पुत्र श्री केसरीमल प्रदर्श EX-3 सत्यप्रति शपथ–पत्र दीपचन्द्र पुत्र छोटेलाल, प्रदर्श EX-16 सत्यप्रति न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा प्र.स. अपील/डिक्री/17/19 भरतपुर में पारित निर्णय दिनांक 30.03.2000, प्रदर्श EX-17 न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर द्वारा अपील 21/98/223 भरतपुर में पारित निर्णय दिनांक 18.02.1999 की सत्यप्रति, प्रदर्श EX-18 न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा प्रत्रसत्र 21/98 में पारित डिक्री की सत्यप्रति एवं प्रदर्श EX-19 न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा Case No. 33/Bharatpur of 1958 में पारित निर्णय दिनांक 09.12.1959 की सत्यप्रति पेश की है। इन सभी में वादी बाबूलाल को हन्डू का पुत्र होना माना है। प्रदर्श Ex-17 न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर द्वारा अपील 21/98/223 भरतपुर में इस बाबत विस्तृत विवेचन करते हुए बाबूलाल को हन्डू का पुत्र माना है जिसमें बाबूलाल की माता के बयानों का विवेचन किया है। प्रतिवादीगण ने वादी बाबूलाल को छोटेलाल का पुत्र होना अपने जबाब दावे में पेश किया है लेकिन उन्होंने इस बाबत कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश कर प्रदर्शित कराकर सिद्ध नहीं किया है। प्रतिवादीगण ने बाबूलाल को हन्डू का पुत्र नहीं होने का कथन करने से इसे सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण पर होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी गवाह डी.डब्लू–2 सुगड़ सिंह एवं डी.डब्लू–3 उम्मेद के शपथ–पत्र को सही मानकर बाबूलाल को हन्डू का पुत्र न मानकर छोटेलाल अजमेर का पुत्र माना है जो त्रुटिपूर्ण है क्योंकि प्रदर्श EX-1, EX-2 EX-3, EX-16, EX-17, EX-18 एवं EX-19 मे वह हन्डू का पुत्र होना साबित होता है। अतः यह तनकी प्रतिवादीगण के विरुद्ध एवं वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी सं. 8 का निर्णय निम्न प्रकार किया है:–

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादीगण का था। वादी द्वारा दावा अन्तर्गत 88, 89 आरटीए के तहत पेश किया गया है तथा वादी के दावा का अवलोकन करने से स्पष्ट साबित है कि वादी द्वारा अपने रिलीफ में दावा में कहीं पर भी कब्जा वापिसी की कोई रिलीफ नहीं चाही गई है और प्रतिवादी द्वारा अपने जबावदावा एवं गवाहन से यह साबित हो चुका है कि उक्त विवादित आराजीयात पर वयनामा से ही प्रतिवादीगण का विवादित आराजीयात पर कब्जेकाश्त की खातेदारी रही है। इसलिए बगैर कब्जावापिसी रिलीफ की दावा को डिक्री नहीं किया जा सकता अतः उक्त तनकी प्रतिवादीगण के हक में एवं वादी के खिलाफ तय की जाती है।

राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर (राज.)

न्यायालय हाजा का तनकी सं. 8 के संबंध में निर्णय निम्न प्रकार है :–

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी सं. 8 का निर्णय विधिसम्मत रुप से सही पारित किया गया है। जिससे हम सहमत है।

अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी सं. 9 का निर्णय निम्न प्रकार किया है:–

उक्त तनकी को सिद्ध करने का भार भी प्रतिवादी का था। वादी द्वारा प्रतिवादी के नाम दर्ज खातेदारी जो मुताबिक वयनामा 12.08.81 एवं इंतकाल संख्या 45 व 54 से प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड है तथा मुताबिक दर्ज रिकॉर्ड काबिजकाश्त है इसलिए वयनामा को निरस्त कराए बिना वादी को किसी भी प्रकार से खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं होते हैं तथा वयनामा निरस्त करने का सुनवाई का क्षेत्राधिकार सिविल न्यायालय को है न कि राजस्व न्यायालय को है। अतः उक्त दावा न्यायालय क्षेत्राधिकार से बाहर है। अतः उक्त तनकी प्रतिवादीगण के हक व वादी के विरूद्ध तय की जाती है।

न्यायालय हाजा का तनकी सं. 9 के संबंध में निर्णय निम्न प्रकार है :–

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी सं. 9 का निर्णय विधिसम्मत रुप से सही पारित किया गया है। जिससे हम सहमत है।

अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी सं. 10 का निर्णय निम्न प्रकार किया है:–

उक्त तनकी के संबंध में यह है कि वादी एवं प्रतिवादीगण अपना हर्जा खर्चा स्वयं वहन करे।

न्यायालय हाजा का तनकी सं. 10 के संबंध में निर्णय निम्न प्रकार है :–

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी सं. 10 का निर्णय विधिसम्मत रुप से सही पारित किया गया है।

9. अतः उपर्युक्त विवेचन के क्रम में अपीलान्ट वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश वाद तनकीवार निर्णय से सिद्ध नहीं होने से अपीलान्ट द्वारा पेश अपील खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जैर अपील निर्णय एवं डिक्री दिनांक 06.05.2024 यथावत रखे जाते हैं।
10. निर्णय आज दिनांक 23.03.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।
11. आदेश की प्रमाणित प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्रेषित की जावे।
12. पत्रावली में और कोई कार्यवाही शेष नहीं है। पत्रावली फैसलशुमार होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर